कोविड़–19 अति आवश्यक

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक : एन.एच.एम./कोविड़–19/2021/5964 दिनांक : 26 जून, 2021

– : : सूचना पत्र : : –

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 दिनांक 18/05/2021 की अनुपालना में भीलवाड़ा जिले में कोविड़–19 से उत्पन्न वर्तमान परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने, कोविड़ से संक्रमित मरीजों को समुचित उपचार, चिकित्सकीय सेवायें उपलब्ध कराने तथा मृत्यु दर को न्यूनतम किये जाने हेतु प्रदेश में संचालित घर–घर सर्वे एवं दवाई वितरण के कार्य को गति प्रदान करने के दृष्टिगत ''**कोविड़ हैल्थ कन्सलटेन्ट**'' एवं ''**कोविड़ स्वास्थ्य सहायक**'' का चयन/नियोजन 31 जुलाई, 2021 तक की अवधि के लिये किया जाना है। इस हेतु कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में करवाया जाकर प्रक्रिया पूर्ण की जाकर ''**कोविड़ हैल्थ कन्सलटेन्ट**'' एवं ''**कोविड़ स्वास्थ्य सहायक**'' के पदों हेतु वरियता सूची जारी की जा रही है। उक्त वरियता सूची दिनांक 07/06/2021 से 10/06/2021 के मध्य दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों की जारी की गई है, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 07/06/2021 से 10/06/2021 के मध्य दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों को कोई आपत्ति हो तो सूची प्रकाशन के 03 (तीन) दिवस में इस कार्यालय में अपना अभ्यावेदन मय आवश्यक दस्तावेज के प्रस्तुत करें। नियत तिथि दिनांक 30/06/2021 के बाद प्राप्त अभ्यावेदन पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

(डॉ. मुस्ताक खान)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
भीलवाड़ा